न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 308–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–12–14 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर प्रकरण कमांक 28/अपील/अ–27/13–14.

गजराज सिंह पिता जसवंतसिंह पटेल राजपूत
निवासी पटलारा मोहल्ला, मण्डलेश्वर
तहसील महेश्वर जिला खरगौन .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती कमलाबाई बेवा सरदारसिंह राजपूत
निवासी पटलारा मोहल्ला, मण्डलेश्वर
तहसील महेश्वर जिला खरगौन .....अनावेदिका

श्री मुकेश तारे, अभिभाषक, आवेदक
श्री पंकज अजमेरा, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/7/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, मण्डलेश्वर के आदेश दिनांक 9–3–2008 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मण्डलेश्वर के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 10–4–2014 को लगभग 6 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 28/अपील/अ–27/13–14 दर्ज कर दिनांक 31–12–14 को अंतरिम आदेश

पारित कर अवधि विधान की धारा 5 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर, अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य की गई एवं प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया जाकर पेशी दिनांक 2–1–2015 नियत की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा बटवारा नामांतरण आदेश दिनांक 3–3–2008 को पारित होने के उपरांत सर्वे नम्बर 97/2 की शेष बची भूमि रकबा 0.700 आरे पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 31–3–2010 को सुश्री मरियम अमीन को विक्रय की गई है, जिसमें स्वयं के द्वारा चर्तुसीमा में पश्चिम में आवेदक गजसाज सिंह की कृषि भूमि होना उल्लिखित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि अनावेदिका को बटवारा आदेश की जानकारी प्रारंभ से ही रही है, और उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र में तथ्यों को छिपाया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 6 वर्ष के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः असाधारण विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका की ओर से आवेदन पत्र में जानकारी का स्रोत भी नहीं बतलाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका के द्वारा बटवारे को फर्जी बतलाया गया है, परन्तु यह नहीं बतलाया गया है कि किस प्रकार बटवारा फर्जी है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा बिना अनावेदिका को सूचना दिये उसकी अनुपस्थिति में फर्जी बटवारा आदेश पारित करा लिया गया था, जिसकी जानकारी अनावेदिका को वर्ष 2014 में होने पर जानकारी के दिनांक से अपील समय–सीमा में प्रस्तुत की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका अनपढ़ होकर वृद्ध महिला है, जिसका फायदा उठाकर आवेदक द्वारा बटवारा करा लिया गया है, जिसकी जानकारी होने पर अनावेदिका द्वारा समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी, अतः विलम्ब सद्भाविक

होने से क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा न्यायसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया । तर्क में समर्थन में 2005 आर.एन. 383 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदिका कमलाबाई पढ़ी–लिखी नहीं होकर केवल हस्ताक्षर करना जानती है, और उसे कोर्ट–कचहरी का कोई ज्ञान नहीं है । अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह आधार लिया जा रहा है कि आवेदक, अनावेदिका के परिवार का सदस्य नहीं होकर प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना आवश्यक है ताकि अनावेदिका की ओर से उठाये गये उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार किया जा सके । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा किया जाकर उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य करने में पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । वैसे भी प्रकरण का निराकरण समय–सीमा जैसे तकनीकी बन्दु पर नहीं किया जाकर गुण–दोष पर किया जाना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि गुण–दोष पर निराकरण होने से पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त होता है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मण्डलेश्वर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–12–14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर